पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Punjab

संसद के अधिनियम सं२५ . द्वारा स्थापित (२००९) /(Established vide an Act 25(2009) of Parliament)

बैठक शाखा (बै) - MEETINGS BRANCH

सन्दर्भ संख्या. सीयूपीबी/एमबी/पीबी/2025-26/84 **दिनांक:21/05/2025**

अधिसूचना

विषय: योजना बोर्ड का गठन: आरईजी

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के अध्यादेश-XXVI (अधिनियम धारा 28-(1)(जे) के अनुसरण में, दिनांक 21/05/2025 से **एक वर्ष की अवधि के लिए योजना बोर्ड** के गठन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन निम्नानुसार प्रेषित किया जाता है:-

पदेन सदस्य

अध्यादेश-XXVI, खण्ड -2(2.1)	**कुलपति** प्रो. राघवेंद्र पी. तिवारी
अध्यादेश -XXVI, खण्ड -2(2.2)	**सम-कुलपति** प्रो.(डॉ.) किरण हजारिका
अध्यादेश -XXVI, खण्ड -2(2.3)	**स्कूलों के डीन** पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सभी विद्यालयों के डीन
अध्यादेश -XXVI, खण्ड -2(2.4)	**कुलसचिव – सदस्य सचिव** पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
अध्यादेश -XXVI, खण्ड -2(2.5)	**वित्त अधिकारी,** पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

सदस्य

अध्यादेश -XXVI, खण्ड -2(2.6)

कुलपति द्वारा नामित पांच बाह्य विशेषज्ञ, जिनमें कार्यकारिणी परिषद का एक सदस्य और अकादमिक परिषद का एक सदस्य शामिल होगा।

1. प्रो. (डॉ.) मनोज दीक्षित, कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान (एमजीएसयू), बीकानेर.(सदस्य, कार्यकारी परिषद)
2. प्रो. आर.एस. दुबे, कुलपति, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सदस्य, अकादमिक परिषद)
3. प्रो. वी.एस. चौहान, आर्टुरो फलास्की एमेरिटस साइंटिस्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली।

4. प्रोफेसर भीमर्या मेत्री, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर।
5. प्रो मंजीत बंसल, प्रोफेसर और डीन, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, बठिंडा।

सहयोजित सदस्य

1. पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय में डीन इन-चार्ज अकादमिक।
2. डीन, अनुसंधान एवं विकास, पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
3. डीन छात्र कल्याण, पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
4. निदेशक, आईक्यूएसी, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
5. प्रो. वी.के. गर्ग, प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
6. प्रो. पी.के. मिश्रा, प्रोफेसर, आर्थिक अध्ययन विभाग।
7. प्रो. अमनदीप कौर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
8. डॉ. अमनदीप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, पंजाबीं विभाग।

नोटः योजना बोर्ड के सदस्य, पदेन सदस्यों के अलावा, एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

हस्ताक्षरित
कुलसचिव

प्रतिप्रेषितः

1. सहायक कुलसचिव (वीसीओ): माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ
2. प्रो वाइस चांसलर का कार्यालय: सूचनार्थ हेतु
3. कुलसचिव के व्यक्तिक सहायक: कुलसचिव के सूचनार्थ हेतु
4. सभी संबंधित: सूचनार्थ हेतु
5. प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र: विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित फ़ाइल

हस्ताक्षरित
कुलसचिव